



2026:AHC:27178

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3247 / 2026

राम लखन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सत्यदीप गौतम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन), इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद को निगरानी संख्या C202002000001019 वर्ष 2020 (श्रीमती राम संवारी बनाम राम लखन) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. मामला लंबे समय से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन), इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद को उपरोक्त पुनरीक्षण कानून के अनुसार कड़ाई से और यथाशीघ्र बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"